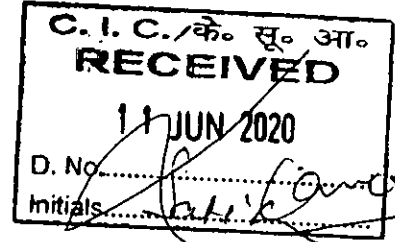


केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका  
नई दिल्ली - 110067.

\*\*\*\*\*

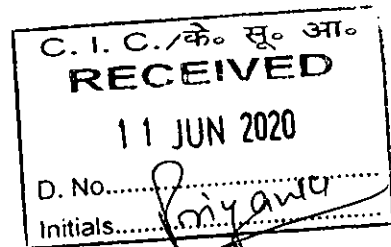
प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/20/00040  
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/20/00133  
अपीलकर्ता : श्री शमशाद हुसैन कुरैशी  
चमन सराय, तह0 व जिला0 - सम्भल,  
उत्तर प्रदेश ।  
मो0 - 9897820369.



|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि                                                    | 06.02.2020       |
| आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आवेदन प्राप्त होने की तिथि                  | 21.02.2020       |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि                                 | 20.03.2020       |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी                                      | श्री के. एल. दास |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि                                              | 10.03.2020       |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 14.05.2020       |
| निर्णय की तारीख                                                            | 10.06.2020       |

मांगी गई सूचना

- अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.02.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी  
  - दिनांक 16.12.2010 को पंजीकृत पत्र द्वारा पुनः सुनवाई करने हेतु श्री बिमल जुल्का, सी.आई.सी., नई दिल्ली को संलग्न पत्र प्रेषित किया गया था, उस पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई, उसकी सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें ।
  - प्रार्थी/आवेदक सी.आई.सी./सीसीएकेपी/2018/120884-बीजे में दिनांक 23.10.2019 को हुई सुनवाई में आयकर अधिकारी, सम्भल श्री सुरेन्द्र वर्मा जी द्वारा किस पत्र का मा0 आयुक्त महोदय के समक्ष जांच लम्बित होने का तर्क दिया गया है, उस पत्र की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें ।
  - दिनांक 23.10.2019 की सुनवाई के दौरान थर्ड पार्टी मुशफिक एडवोकेट ने जो मा0 शान शब्बीर को आपके सामने प्रस्तुत कर फर्म का मालिक बताया है उसका चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व नगर पालिका परिषद सम्भल में पंजीकृत लाइसेंस व ठेकेदारी का लाइसेंस की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराएं ।
  - दिनांक 23.10.2019 को सुनवाई के दौरान थर्ड पार्टी मा0 शान शब्बीर जो सामने उपस्थित हुआ उसकी अनुमति आपसे ली गई थी या नहीं, यदि हाँ तो अनुमति पत्र की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें ।



### प्रदान की गई सूचना

2. श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 20.03.2020 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

1. You made request for re-hearing of case No.CIC/CCAKP/A/2018/120884, decided on 24.10.2019. In this connection it is informed that the order once passed by the Commission is final and there is no provision for review under RTI Act, 2005. No action is, therefore, called for on your letter dated 16.12.2019.
2. What you are referring to is not very clear. The order also does not contain any such reference. You are, therefore, requested to clarify the position.
3. No such information is available.
4. In this connection, reference is invited to para 5 of the notice of hearing, wherein CPIO is directed to inform the third party, if any, to defend his position. A copy of the hearing notice sent in your case is enclosed.

### प्रथम अपील का आधार

3. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हुई है एवं आर.टी.आई. आवेदन में उल्लिखित सूचनाओं की मांग की गई है।

### निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 06.02.2020 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन, दिनांक 21.02.2020 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ एवं आर.टी.आई. आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर ही दिनांक 20.03.2020 को केन्द्रीय सूचना अधिकारी, श्री के. एल. दास द्वारा सूचना प्रेषित कर दी गई है। केन्द्रीय सूचना अधिकारी, श्री के. एल. दास द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यान्तरूप है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। श्री के. एल. दास द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न की जा रही है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की तारीख: 10 जून, 2020

मीना बलिमने शर्मा  
10/06/2020

(मीना बलिमने शर्मा)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

संलग्नक - श्री के. एल. दास द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति।

### प्रतिलिपि :

1. श्री टी. बी. जे. एस. राजेप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DO to CIC (BJ)), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Received on 11/06/20  
11/06/20

**CENTRAL INFORMATION COMMISSION**

CIC Bhavan, Baba Gang Nath Marg,  
Munirka, New Delhi - 110067.  
Email:- kl.das@nic.in. Tel: 011 -26182598

**Registry of IC(BJ)**

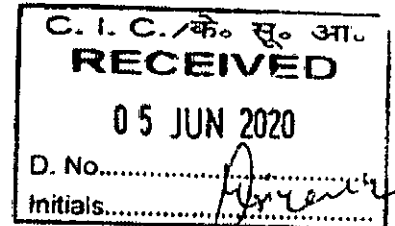
CICOM/R/P/20/00133-DR(IC-BJ)

Dated:-20.03.2020

To,

Shri Shamshad Hussain Qureshi  
R/o Chaman Sarai Tehsil & Distt. Sambhal,  
U.P.

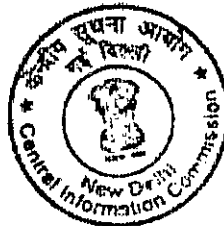
Sir,



This has reference to RTI application registered in the Commission vide File No. CICOM/R/P/20/00133 dated 24.02.2020. The information sought by you is given point-wise as under:-

1. You made request for re-hearing of case No. CIC/CCAKP/A/2018/120884, decided on 24.10.2019. In this connection it is informed that the order once passed by the Commission is final and there is no provision for review under RTI Act, 2005. No action is, therefore, called for on your letter dated 16.12.2019.
2. What you are referring to is not very clear. The order also does not contain any such reference. You are, therefore, requested to clarify the position.
3. No such information is available.
4. In this connection, reference is invited to para 5 of the notice of hearing, wherein CPIO is directed to inform the third party, if any, to defend his position. A copy of the hearing notice sent in your case is enclosed.

If you are not satisfied with the above reply, you may prefer appeal to First Appellate Authority (Smt. Meena Balimane Sharma, Additional Secretary - CIC Bhavan, Room No. 512, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi - 110067. (Telephone No. 011-26181925).



Yours faithfully,

(K.L. Das)

CPIO & Dy. Registrar

Copy to:-

CPIO, RTI Cell, CIC for information.

*Am*  
*05/06/20*

(K.L. Das)

CPIO & Dy. Registrar